न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)

राजस्व वाद संख्या 62/2007

श्रवण सुपुत्र श्री बालू जाति गुर्जर आयु 48 साल निवासी गांव जोरावरपुरा – पीथावास तहसील मसूदा जिला अजमेर। ----वादी

ब ना म

1– बालू वल्द सरचन्दा उर्फ हरचन्दा
2– श्री हरलाल वल्द बालू
3– नारायण वल्द बालू
समस्त जाति गुर्जर निवासीगण गांव जोरावरपुरा – पीथावास तहसील मसूदा।
4– कालू वल्द अनोपा जाति गुर्जर
5– नन्दा वल्द भोजा जाति गुर्जर
6– सोजी वल्द भालु जाति गुर्जर
समस्त प्रतिवादी संख्या 4 से 6 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 अनोपा वल्द सवाई।
7– रामा वल्द हरी जाति गुर्जर
8– प्रभु वल्द नानू जाति गुर्जर
9– रामचन्द्र वल्द नानू जाति गुर्जर
10– रूकमा बेवा नानू जाति गुर्जर
11– मगना वल्द मेवा जाति गुर्जर
प्रतिवादी संख्या 11 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मुस्मात हाबु बेवा मेवा।
12– भागु वल्द जवारा
13– राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा। ----प्रतिवादीगण

वाद वास्ते विभाजन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 04.08.2017

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वादी ने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है। कि ग्राम पीथावास तहसील मसूदा स्थित खसरा नम्बर 430/1, 436, 430/2, 428, 445, 802/2, 803, 806, 807, 982, 995, कुल किता 11 रक्बा 47–12–00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है जिन पर पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त चल आ रहे है।

वादी ने प्रतिवादीगण से विभाजन हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण ने मन कर दिया है और वादी के हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण कारतामिरात कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है अतः विवादित आराजी का जरिये माप एंव सीमांकन बटवारा करवाते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के हिस्से की आराजी में दखंलदाजी आदि से निषेध किया जावे।

-----लगातार

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रवितादी 1 से 6 का जवाब पेश हुआ प्रतिवादी 7 से 12 के जवाब पेश नही करने पर जवाब बन्द किये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के पिता के नाते जबकि वादी शामिल संयुक्त परिवार का सदस्य था उस समय शामलाती पूंजी से अन्य लोगो से कृषि भूमिया खरीदी और बडे लडके श्रवण वादी के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के जरिये ली जो राजस्व रिकार्ड में अकेले उसके नाम दर्ज हो गई। परन्तु कब्जा काश्त शामलाती चला आ रहा था अब वादी की नियत बंद हो गयी है और वह स्थिति का लाभ उठाना चाहता है कि शामलाती क्रय शुद्धा जायदाद में तो वह अपने भाईयों को हिस्सा नही देना चाहता है और पुश्तैनी जायदाद से हिस्सा लेना चाहता है जो न्याय संगत नही है। विवादित जायदाद बैंक ऑफ बडौदा शाखा मसूदा के रहन है और वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विश्वास में लेकर किसान क्रेडिट के तौर रहन करा दी और रकम स्वयं उठा ली बैंक की और से कोई विभाजन का प्रार्थना पत्र नही है और बैंक को पक्षकार भी नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन का दावा चलने योग्य नही होकर खारिज योग्य है।

वाद पत्र पर बहस विद्धान अभिभाषक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पीथावास पटवार हल्का केलू तहसील मसूदा की जमाबंदी सम्वत् 2059–62 के खाता संख्या 215, 216, 114 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 10 विवादित आराजी में एक ही परिवार के होकर सहखातेदार है अतः वादी का वाद आशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रकरण में डिक्री इस आश्य की पारित की जाती है। कि –

वादी व प्रतिवादी 01 से 10 को विवादित आराजी में अपने अपने हिस्सेनुसार बटवारा करने हेतु तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 को राजस्व रेकार्ड अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा करने के आदेश पारित किये जाते है तथा निदेर्शित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में पक्षकारान के हिस्सों का अमल कर जरिये माप एवं सीमांकन विवादित भूमिया का पक्षकारान के मध्य मौके पर विभाजन कर नक्शे में पृथक पृथक तरमीम दर्शाते हुए बटवारा करे।

बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.08.2017 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर, मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 16:50:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: